न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/107/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/367

अपीलार्थी
श्री रमेश चंद मदेरणा पुत्र गनपतसिह,
गंव–नंगला बीजा, पोस्ट–नंगला तेरहियां,
तहसील–उच्चैन, जिला–भरतपुर (राज.)–321302

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला रसद अधिकारी, अलवर

प्रवेश तिथि :: 23.08.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 12.09.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 04.07.22 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत गूंदपुर, तहसील–रामगढ (अलवर) में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रत्यर्थी की ओर से संबंधित संस्था द्वारा माह जनवरी, 2020 से आवेदन दिनांक तक महिलाओं एवं बच्चों हेतु issue किए गए खाद्य सामग्री (दाल,चांवल,गेहॅ आदि) के issue रजिस्टर एवं issue note की प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा, प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना आवेदन पर किए गए विनिश्चय पत्र सं. 1751–52 दिनांकः 28.07.2022 के विरूद्ध उक्त अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया, प्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई हेतुं कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. रसद/आरटीआई/2022/2123 दिनांकः 08.09.2022 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन, प्रथम अपील प्रा0पत्र एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस का विधिक परीक्षण किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन उनके विभाग से संबंधित नहीं होने के कारण मूल ही उनके पत्रांकः रसद/आरटीआई/2022/1751 दिनांकः 28.07.2022 के माध्यम से उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा चुका है।
8. प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में सूचना आवेदन की विषयवस्तु प्रत्यर्थी के क्षेत्राधिकारी में नहीं होने के कारण **अपील,** अपीलार्थी **खारिज कर निस्तारित** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 12.09.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)